कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

पत्रांक 2481 /मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 11/12/13

प्रेषक,

लोकपाल
मनरेगा, वैशाली।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला जन शिकायत कोषांग,
वैशाली, हाजीपुर।

विषयः– शिकायतकर्त्ता रवि कुमार महतो उर्फ सूरज कुमार महतो, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत लगुरॉव बिलन्दुपर, प्रखण्ड– राजापाकर, थाना– महुआ, जिला– वैशाली के शिकायत–पत्र के संबंध में जांच प्रतिवेदन।

प्रसंगः– जिला जन शिकायत कोषांग परिवाद सं0 3093/05.09.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक से संबंधित परिवाद/ शिकायत–पत्र ग्राम पंचायत की वृक्षारोपण कार्य योजना से संबंधित था। परिवाद–पत्र में उल्लेखित प्रासंगिक विषय का परिवाद पत्र के मूल बिन्दु से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता है। परिवाद पत्र में शिकायत से संबंधित कार्य योजना का जांच प्रतिवेदन प्रेषित।

अनुलग्नक - यथोक्त - 2 प्रति

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

विश्वासभाजन

11.12.13

लोकपाल
मनरेगा, वैशाली

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली
लोकपाल, मनरेगा
जिला– वैशाली

दिनांक	परिवाद पत्र क्रम संख्या 40/13–14 के तथ्य एवं निष्कर्ष	अभ्युक्ति
10.12.12	यह परिवाद श्री रवि कुमार महतो उर्फ सूरज कुमार महतो, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत लगुरॉव बिलन्दपुर, थाना– महुआ, जिला– वैशाली के दिनांक 22.10.13 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत–पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है :– राजापाकर प्रखण्ड महुआ थानान्तर्गत, ग्राम पंचायत लगुरॉव बिलन्दपुर मुखिया पति द्वारा मनरेगा के तहत् वृक्षारोपण योजना चैनपुर चौपार डैनीपुल से चैनपुर चौपार तक सिर्फ कागज पर पूर्ण कर लिया गया है। स्थल पर एक पेड़ भी नहीं लगाया गया है न ही कोई चापाकल गाड़ा गया है। मजदूरों के नाम पर मजदूरी की राशि निकाल ली गयी है। शिकायतकर्त्ता के शिकायत–पत्र के संदर्भ में पंचायत रोजगार सेवक से कारण पृच्छा की मांग की गयी। पंचायत रोजगार सेवक द्वारा कारण पृच्छा उपलब्ध नहीं कराये जाने के उपरांत कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड– राजापाकर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। तत्पश्चात् पंचायत रोजगर सेवक द्वारा कारण पृच्छा प्रस्तुत किया गया। पंचायत रोजगार सेवक ने अपने कारण पृच्छा में बताया कि शिकायतकर्त्ता रवि कुमार महतो द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है, क्योंकि परिवाद पत्र में लगाया गया आरोप मनेरगा द्वारा चैनपुर चौपार डेनीपुल से चैनपुर चौपार तक कोई भी वृक्षारोपण योजना का कार्य नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि योजना नहीं चलने की स्थिति में चापाकल एवं फर्जी निकासी का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः उन्होंने कारण पृच्छा से मुक्त करने की मांग की है। दूसरी ओर शिकायतकर्त्ता द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। सुनवाई की अन्य तिथियों पर भी शिकायतकर्त्ता उपस्थित नहीं हुए। कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, प्रखण्ड–राजापाकर द्वारा भी जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताया गया है कि परिवाद/शिकायत–पत्र में परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप, ग्राम पंचायत लगुरॉव बिलन्दपुर द्वारा चैनपुर चौपार डेनीपुल से चैनपुर चौपार तक वृक्षारोपण एवं चापाकल के नाम पर फर्जी निकासी के संबंध में अभिलेख के अवलोकन एंव स्थल निरिक्षण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि पर मनरेगा द्वारा कोई योजना ही नहीं चला है। ऐसी स्थिति में फर्जी निकासी एवं चापाकल नहीं गाड़कर निकासी की बात सत्य से परे है। शिकायतकर्त्ता द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने एवं स्वयं या उनके कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने के कारण विभागीय जांच प्रतिवेदन को सत्य नहीं मानने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है। परिवाद पत्र में उल्लेख किये गये विषय का परिवाद के विवरण से कोई संबंध स्पष्ट नहीं होता है। मेरे द्वारा एम0आई0 एस0 में ग्राम पंचायत लगुरॉव बिलन्दपुर में वृक्षारोपण योजनाओं की सूची का अवलोकन किया गया। योजना सूची में ग्राम पंचायत लगुरॉव बिलन्दपुर द्वारा चैनपुर चौपार डैनीपुल से चैनपुर चौपार तक वृक्षारोपण कार्य का कहीं उल्लेख नहीं है। कार्यक्रम पदाधिकारी–सह अंचल अधिकारी, प्रखण्ड–राजापाकर द्वारा उक्त कार्य के अभिलेख एवं योजना स्थल का निरिक्षण किया जा चुका है। उनके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि परिवाद के प्रश्नगत् भूमि पर मनरेगा से कोई कार्य नहीं हुआ है स्थिति को स्वतः स्पष्ट करता है। अतः परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप का कार्य योजना में मौजूदगी नहीं होने के कारण निरस्त किया जा सकता है। परिवाद पत्र में परिवादी की अन्य शिकायतों में भविष्य में होने वाली घटना की संभावना व्यक्त की गयी है। जो जांच का विषय नहीं है। हस्ताक्षर 11-12-13 लोकपाल, मनरेगा वैशाली।	